

-:क्रियान्विति आदेश:-

मुताबिक राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि चक 14 एसएसडब्ल्यू में अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि प.न. 131/286 मु.न. 5 किला नं. 1, 2/1/.039, 3/2/.038 कुल .330 है. में से किला नं. 1/0.038, 2/1/0.039, 3/2/0.038 उत्तरी सीमा से चिपता हुआ (पश्चिम से पूर्व) व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की कृषि भूमि चक 14 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 232/192 प.न. 131/286 मु.न. 5 किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 प.न. 131/287 मु.न. 18 किला नं. 4, 5 में कुल तादादी 3.036 है. में से प.न. 131/286 मु.न. 5 के किला नं. 4 में 0.025 है. व 5 में 0.025 है. उत्तरी सीमा से चिपता हुआ (पश्चिम से पूर्व) 16 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। बदले में प्रार्थी द्वारा चक 14 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 457/376 प.न. 131/286 मु.न. 5 किला नं. 3/0.007, 8/2/.006 कुल 0.013 है. उत्तर से दक्षिण पूर्व सीमा से चिपती हुई व संयुक्त खाता सं. 376/295 प.न. 131/286 मु.न. 5 किला नं. 8 में 0.04 है. किला नं. 13, 18, 23 प्रत्येक में 0.011 है. कुल 0.037 है. उत्तर से दक्षिण पूर्व सीमा से चिपती हुई कृषि भूमि दी देने सहमति प्रार्थी द्वारा राजीनामा में दी गई है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन अथवा न्यायिक विवाद नहीं हो तो आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/2 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया

गया।

सत्यमेव जयते (दिव्या) RAS

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढारी
हनुमानगढ



Web Copy - Not